भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 93

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2024

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

***93. श्री जयदेव गल्ला:**

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरु की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में शामिल किए गए पारंपरिक व्यवसायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के प्रारंभ से इसके कार्यान्वयन हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के आरंभ से इसके लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ड़) इस योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन, ऋण सहायता और विपणन सहायता हेतु राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के बारे में प्रत्येक राज्य में जागरुकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *93, जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (च) में संदर्भित विवरण

(क) : पीएम विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को उन कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो अपने हाथों से औजारों का उपयोग करके 18 व्यवसायों में काम करते हैं।

(ख) : पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शामिल 18 व्यापारों का विवरण निम्नानुसार है:
(i) **कारपेंटर (सुथार/बढ़ई)**; (ii) **नाव निर्माता**; (iii) **अस्त्रकार**; (iv) **ब्लैकस्मिथ (लोहार)**; (v) **हथौड़ा और टूलकिट निर्माता**; (vi) **ताला बनाने वाला**; (vii) **गोल्डस्मिथ (सुनार)**; (viii) **पॉटर (कुम्हार)**; (ix) **स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला**; (x) **मोची (चर्मकार) जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर**; (xi) **मेसन (राजमिस्त्री)**; (xii) **टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॅयर कारीगर**;(xiii) **गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)**; (xiv) **बार्बर (नाई)**; (xv) **गारलैंड मेकर (मालाकार)**; (xvi) **वॉशरमैन (धोबी)**; (xvii) **टेलर (दर्जी)**; **और** (xviii) **फिशिंग नेट निर्माता।**

(ग) : पीएम विश्वकर्मा योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु 13,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चूंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राज्य-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है।

(घ) : दिनांक 05.02.2024 की स्थिति के अनुसार, कारीगरों एवं शिल्पकारों के आवेदनों की कुल संख्या 93,21,360 है। तीन स्तरों के सत्यापन के बाद लाभार्थियों के सफल पंजीकरण की कुल संख्या 3,63,556 है। लाभार्थियों के सफलतापूर्वक पंजीकरण का राज्य-वार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ङ.) : सफलतापूर्वक पंजीकृत लाभार्थी कौशल उन्नयन, क्रेडिट सहायता और विपणन सहायता सहित योजना के सभी लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(च) : पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए, विकास आयुक्त (एमएसएमई) के तहत क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रीय प्रशासन के साथ सक्रिय समन्वय से जिला स्तरीय जागरुकता आयोजनों और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने योजना की अवधि के दौरान जागरुकता सृजित करने के लिए 225 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। चूंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राज्य-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *93, जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चरण 3 पर कुल सफल पंजीकरण
1	आंध्र प्रदेश	44,827
2	अरुणाचल प्रदेश	29
3	असम	37,807
4	बिहार	1
5	चंडीगढ़	21
6	छत्तीसगढ	7,366
7	दिल्ली	0
8	गोवा	5,486
9	गुजरात	60,808
10	हरियाणा	3,767
11	हिमाचल प्रदेश	1,956
12	जम्मू और कश्मीर	29,878
13	झारखंड	6,280
14	कर्नाटक	1,16,399
15	केरल	3,993
16	लद्दाख	1,229
17	मध्य प्रदेश	1,701
18	महाराष्ट्र	12,052
19	मणिपुर	114
20	मेघालय	0
21	मिजोरम	0
22	नागालैंड	0
23	ओडिशा	6,168
24	पुडुचेरी	0
25	पंजाब	2,440
26	राजस्थान	5,334
27	सिक्किम	0
28	तमिलनाडु	1
29	तेलंगाना	1
30	त्रिपुरा	1,051
31	उत्तर प्रदेश	12,203
32	उत्तराखंड	2,573
33	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	**3,63,556**